

समक्ष दि. 1.6.11 को पेश किया

16<sup>11</sup>/<sub>22</sub>

आज यह पत्रावली वादी के वकील उपर है  
नहीं है। वादी को पुलिस की तलबी हेतु  
फाजी अफसर रिप्ले जान के बाद भी वादी  
डाप न्यायालय पेश नहीं किए जा रहे।  
जिससे वादी की उम्र बाद को आगे चलने  
की रोक प्रारंभ नहीं हो रही है। वादी के  
डाप न्यायालय आदेश की पालना नहीं  
करने से पत्रावली 09.05 में स्वार्थ  
का जारी है। पत्रावली केवल शुभकर हीम  
शुभकर से कम है। बाद पूर्व डॉक्टर उपर  
है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बहरोड़ (अलवर) राज 0